कार्यालय नगर निगम मथुरा–वृन्दावन, मथुरा।

संख्याः– 135 /क0वि0/न0नि0म0वृ0,मथुरा/2026–27 दिनांक 02/07/26

अति अल्पकालीन प्रस्ताव आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम मथुरा–वृन्दावन सीमान्तर्गत अनुमानित 1.79 लाख सम्पत्तियां निर्मित हैं। शासन के निर्देशानुपालन में नगर निगम मथुरा–वृन्दावन सीमान्तर्गत आने वाली सम्पत्तियों का जी0आई0एस0 सर्वे पूर्ण हो चुका है। सर्वे के उपरान्त नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 504 के अन्तर्गत निर्मित 1.79 लाख बिल निर्गत एवं वितरित किये जाने हैं।

भवन स्वामियों को शीघ्र से शीघ्र बिल निर्गत एवं वितरण कराये जाने का कार्य किसी निजी फर्म/संस्था से कराया जाना है। नोटिस ए–4 साइज में दो प्रतियों में निर्गत करते हुए नोटिस की एक प्रति भवन स्वामी को प्राप्त कराने तथा द्वितीय प्रति नगर निगम के कर विभाग में प्राप्त करायी जायेगी। इस कार्य कार्य हेतु न्यूनतम दरों हेतु इच्छुक फर्म/संस्थाएं अपने प्रस्ताव दिनांक 02.07.2026 से 06.07.2026 तक जनरलगंज स्थित नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के कर विभाग कार्यालय में आवेदन बन्द लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त कार्य से सम्बन्धित नियम व शर्ते नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की ऑनलाईन साइट www.nnmvonline.in पर देखी जा सकती है।

2.7.26

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

प्रतिलिपिः–

1– नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ।

2– यूनिकॉम एड ऐजेन्सी को इस आशय से कि उक्त सूचना का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्र दैनिक अमर उजाला, दैनिक जागरण में कराते हुए प्रकाशित अंक की दो–दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

3– सम्पादक दैनिक राजपथ को इस आशय से कि उक्त सूचना का प्रकाशन अपने समाचार पत्र में कराते हुए प्रकाशित अंक की दो–दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

4– श्री विनीत द्विवेदी, आई0टी0 एक्सपर्ट को इस निर्देश के साथ कि उक्त निविदा प्रकाशन की सूचना एवं नियम शर्तो को नगर निगम मथुरा–वृन्दावन की ऑनलाईन साइट www.nnmvonline.in पर अपलोड कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी
नगर निगम मथुरा–वृन्दावन।

नियम व शर्तेः–

1. इच्छुक फर्म/संस्थाओं से बिल निर्गत एवं वितरण के प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिये आमंत्रित किये जा रहे हैं।
2. फर्म का टर्न ओवर सालाना रू0 25 लाख होना चाहिये।
3. फर्म को जमानत धनराशि के रूप में नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन के नाम से बंधक रू0 50,000 की एफ0डी0आर0/आर0टी0जी0एस0 खाता संख्या 9812715225 आई0एफ0एस0सी0 कोड KKBK0000149 में जमा करते हुए यूटीआर स्लिप संलग्न करना अनिवार्य होगा।
4. संस्था/फर्म को बिल वितरण के उपरान्त भवन स्वामी द्वारा दी गयी प्राप्ति की प्रति वार्ड वाइज नगर निगम के कर विभाग में प्राप्त करायी जानी अनिवार्य होगी। प्राप्ति की प्रति माहवार रिकार्ड में रखी जायेगी जिसका अवलोकन कभी की किया जा सकेगा।
5. बिल वितरण के उपरान्त कार्य के भुगतान हेतु बिल प्रस्तुत किया जायेगा जिसका भुगतान सक्षम अधिकारी की संस्तुति के उपरान्त ही किया जायेगा।
6. बिल वितरण के कार्य में कर संग्राहक द्वारा केवल सहयोग किया जायेगा जिससे कि सम्पत्ति का मिलान किया जा सके।
7. फर्म द्वारा लगाये गये कार्मिकों के भुगतान का पूर्ण उत्तरदायित्व फर्म का ही होगा। यदि नगर निगम द्वारा फर्म को किये जाने वाले भुगतान में कतिपय कारणवश विलंब होता है तो उस दशा में फर्म द्वारा बिल निर्गत एवं वितरण का कार्य नहीं रोका जायेगा यदि ऐसा किया गया तो उसके लिये फर्म के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
8. फर्म को कार्यादेश निर्गत करने की तिथि से 31 अगस्त 2026 में कार्य पूर्ण करना होगा।
9. बिल वितरण के कार्य का समय–समय पर औचक निरीक्षण सक्षम अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
10. बिल वितरण के कार्य हेतु जिस फर्म/संस्था का प्रस्ताव न्यूनतम होगा उसे स्वीकृत किया जायेगा।
11. कार्य संतोषजनक पूर्ण हो जाने के उपरान्त जमानत धनराशि फर्म के लिखित अनुरोध पर वापस की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

12. किसी भी प्रस्ताव को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन में निहित होगा। जिसके लिये प्रस्तावदाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

13. विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र जनपद मथुरा होगा।

14. नगर निगम में अवस्थित चारों जोन में समानुपातिक बिल वितरण की कार्यवाही कराना अनिवार्य होगा।

Scanned with OKEN Scanner